

प्रेषक,

आलोक दीक्षित,  
विशेष सचिव,  
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

निदेशक,  
पंचायती राज,  
उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।

वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2

लखनऊ: दिनांक: 25 मार्च, 2020

विषय: चतुर्थ राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियों के अन्तर्गत वर्ष 2019-20 के आय-व्ययक में पंचायती राज संस्थाओं के लिये व्यवस्थित सामान्य समनुदेशन की धनराशि में से पंचायत प्रशिक्षण संस्थान के लिये अनुमन्य 0.15 प्रतिशत धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चतुर्थ राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियों के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2019-20 में अनुदान संख्या-61 में पंचायती राज संस्थाओं के लिये व्यवस्थित धनराशि रूपये 5800.00 करोड़ में से, संस्तुति संख्या-23 के अनुसार पंचायत प्रशिक्षण संस्थान के संचालन हेतु मात्राकृत 0.15% धनराशि रूपये 8.70 करोड़ (रूपये आठ करोड़ सत्तर लाख मात्र) की धनराशि निम्नानुसार दिये जाने हेतु निदेशक, पंचायती राज के निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(धनराशि लाख में)

क्र. सं.	निकाय	प्रशिक्षण संस्थान के संचालन हेतु 0.15% धनराशि
1.	जिला परिषदों/जिला स्तरीय पंचायतों हेतु	348.00
2.	ब्लॉक पंचायतों/मध्यवर्ती स्तरीय पंचायतों हेतु	87.00
3.	ग्राम पंचायतों हेतु	435.00
	योग	870.00

2- उपर्युक्त धनराशि इस शर्त के साथ स्वीकृत की जा रही है कि " उक्त धनराशियों को, निदेशक, पंचायती राज, उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा जवाहर भवन कोषागार, लखनऊ से आहरित कर पंचायती राज प्रशिक्षण संस्थान, लखनऊ के बैंक खाते में जमा किया जायेगा तथा प्रश्नगत धनराशि नियमानुसार उन्हीं कार्यों हेतु व्यय की जायेगी जिन कार्यों के लिये स्वीकृत की जा रही है। "

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है ।

3- उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2019-2020 के आय व्ययक के अनुदान संख्या-61 के अन्तर्गत निम्नांकित लेखाशीर्षों के नामे डाला जायेगा-

क्र.सं	निकाय का नाम	लेखाशीर्ष	धनराशि (लाख में)
1.	जिला परिषदों/ जिला स्तरीय पंचायतों हेतु	“3604-स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को क्षतिपूर्ति तथा समनुदेशन- 196- जिला परिषदों/जिला स्तरीय पंचायतों को सहायता- 03-राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियों के अन्तर्गत समनुदेशन- 0301-सामान्य समनुदेशन- 28-समनुदेशन”	348.00
2.	ब्लाक पंचायतों/ मध्यवर्ती स्तरीय पंचायतों हेतु	“3604-स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को क्षतिपूर्ति तथा समनुदेशन- 197- ब्लाक पंचायतों/ मध्यवर्ती स्तरीय पंचायतों को सहायता- 03-राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियों के अन्तर्गत समनुदेशन- 0301-सामान्य समनुदेशन- 28-समनुदेशन”	87.00
3.	ग्राम पंचायतों हेतु	“3604-स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को क्षतिपूर्ति तथा समनुदेशन- 198- ग्राम पंचायतों को सहायता- 03-राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियों के अन्तर्गत समनुदेशन- 0301-सामान्य समनुदेशन- 28-समनुदेशन”	435.00
		योग	870.00

भवदीय,

आलोक दीक्षित  
विशेष सचिव।

संख्या: 17/2020/बी-2-76(1)/दस-2020-2/2019 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम, 30 प्र0, इलाहाबाद।
2. वित्त संसाधन (वित्त आयोग) 30प्र0 शासन।
3. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-2, 30प्र0 शासन।
4. पंचायती राज अनुभाग-3, 30 प्र0 शासन ।
5. मुख्य कोषाधिकारी, आदर्श कोषागार, जवाहर भवन, लखनऊ।
6. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
7. निदेशक, पंचायती राज (लेखा) इन्दिरा भवन, दसवां तल, लखनऊ।

आज्ञा से,

आलोक दीक्षित  
विशेष सचिव।